

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

~~कालीबाई~~

बनाम

~~जोधराज~~

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर...1.65/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
01/05/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री श्रीमती कालीबाई - नबीदा - राधेश्याम</p> <p>पिता श्री रामचन्द्र कुमावत</p> <p>निवासी- जीतावल तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम जीतावल (पन्हाचिकरी) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर... $\frac{123}{0-26}$ $\frac{124}{0-13}$</p> <p>कुल कीता 02 कुल रकबा 0-3900 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम जीतावल (प-8 चिकरी हट्ट, चित्तौड़गढ़) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर $\frac{123}{0-26}$ $\frac{124}{0-13}$</p> <p>कुल कीता 02 रकबा 0-3900 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500-00 रुपये अक्षरे पत्थर प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>